27/6/2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया अपीलार्थी/प्रार्थिया के द्वारा विक्री/खारिज किया जा चुका है। अब वह प्रार्थनापत्र 212RTA का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र 212RTA के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर

नि.अं. वर्मा

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर